राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–11) विभाग

क्रमांकः– प0 6(10)गृह–11/2024 जयपुर, दिनांक: 29/02/24

परिपत्र

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 18408/2012 सुओ मोटो बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं श्री पूनम चंद भण्डारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2017 के द्वारा यह आदेशित किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर भ्रष्टाचार से संबन्धित प्रकरणों की प्राथमिक जांच व अनुसंधान प्राथमिकता से करें एवं सक्षम न्यायालय में अनुसंधान रिपोर्ट पेश करें। सभी विभाग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें।

केन्द्रीय सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के द्वारा संशोधन किये हैं एवं धारा 19 में यह प्रावधान किया है कि "यह भी कि समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात्, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय देने का प्रयास करेगा।" "परतु यह भी कि उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई विधिक परामर्श अपेक्षित है, वहां ऐसी अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रदान किये गये आदेशों की अनुपालना में एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित निर्देशित किया जाता है:–

1. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर भ्रष्टाचार से संबन्धित प्रकरणों की प्राथमिक जांच एवं ऐसे प्रकरणों में अनुसंधान प्राथमिकता से पूर्ण करें एवं अनुसंधान रिपोर्ट समय पर न्यायालय में पेश करें।
2. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर द्वारा अनुसंधान पूर्ण किये जाने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय, 1988 यथा संशोधित, 2018 की धारा 19 में निर्धारित समयावधि में ऐसे प्रकरणों में निर्णय लें।

29/02/24
(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह(विधि)

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित हैः–
1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर राजस्थान।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।

अति0 मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह